

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांक :- जिशिअ / मा / टोंक / संस्था-1 / लिपिक ग्रेड द्वितीय / आरपीएससी 2013 / 2279

दिनांक 12.03.2018


कार्यालय आदेश

निम्नांकित आशार्थियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनोपरान्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक - शिविरा-माध्य/साप्र / बी-1/2856/आरपीएससी-2013/17-18 दिनांक 07.03.2018 द्वारा इन्हें नियुक्ति पर काउन्सलिंग द्वारा टोंक जिले के विद्यालय आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के तहत इन्हे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के वेतन लेवल 05 में दो वर्ष के लिए प्राबेशन पर, प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर, देय नियत मानदेय 14600/- रूपये (मासिक) पर नियुक्ति प्रदान कर, इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है । यह नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं / अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी। एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466 /2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्याधीन रहेगें। ये नियुक्तियां पूर्णत अस्थाई आधार पर मानी जावेगी।

चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।

1. संबंधित अभ्यर्थी से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण प्रमाण पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/-रु के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे
3. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता संबंधी जाचं विभाग स्तर पर करवाई जानी शैष है । अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की गई है । अतः संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें । यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो, उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेगें । मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणि सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेगें ।
5. अन्य पिछडावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र, पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर, प्रमाण पत्र जोकि विवाह के पश्चात का बना हआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगां । ऐसा नही करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा दें ।
6. नियुक्त अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लें।





(2)

7. अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कुट्टरचित्त पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक पं -7(3)/ कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

9. विवाहित एवं अविवाहित अभ्यर्थियों से 10 रूपयों के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त किया जावें।

10. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।

11. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा , सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।

12. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।

14. प्राबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।

इन अभ्यर्थियों को दिनांक 28 मार्च 2018 तक संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

नोट:- क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है। अतः उक्त कार्मिकों को इस कार्यालय से प्रमाण पत्रों की जाँच का प्रमाण पत्र जारी करने पर ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्य ग्रहण करवाया जावें।

संलग्न :- सूची क्र. स. 01 से 02 तक

(खुशीराम रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक टोंक

क्रमांक :- जिशिअ /मा/टोंक/संस्था-1/लिपिक ग्रेड द्वितीय/आरपीएससी 2013/

दिनांक 12.03.2018

प्रतिलिपि:-

2280-2284

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर।

3. संबंधित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र यथा प्राप्त संलग्न कर प्रार्थी की व्यक्तिगत पंजिका हेतु।
(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)

4. कोषाधिकारी टोंक/ उपकोषाधिकारी.....

5. संबंधित आशार्थी रजिस्टर्ड डाक द्वारा

6. कार्यालय प्रति।

(खुशीराम रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक टोंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांक :- जिशिअ / मा / टोंक / संस्था-1 / लिपिक ग्रेड द्वितीय / आरपीएससी 2013 / 2278-2284

दिनांक 12.03.2018

सूची (SBC)

क. स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	आवेदित वर्ग	पदस्थापित विद्यालय राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि
1	0	HANSRAJ GURJER	RANG LAL GURJER	07-01-1995	ग्राम गुन्जा की डाणी पोस्ट डुगरी कला तह. मालपुरा जिला टोंक	SB	GOVT. SR. SEC. SCH. THANWALA DEOLI
2	0	MOHAN LAL GURJAR	RATTI RAM GURJAR	10-08-1995	ग्राम लुनेरा पोस्ट गहलोद तह. निवाई जिला टोंक	SB	GOVT. SR. SEC. SCH. RAMSAGAR DEOLI

नोट:- क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है। अतः उक्त कार्मिकों को इस कार्यालय से प्रमाण पत्रों की जाँच का प्रमाण पत्र जारी प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।


(खुशीराम रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक टोंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांक :- जिशिअ / मा / टोंक / संस्था-1 / लिपिक ग्रेड द्वितीय / आरपीएससी 2013 /

2273

दिनांक 12.03.2018

कार्यालय आदेश

निम्नांकित आशार्थियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनोपरान्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक - शिविरा-माध्य/साप्र / बी-1/2856/आरपीएससी-2013/17-18 दिनांक 07.03.2018 द्वारा इन्हें नियुक्ति पर काउन्सलिंग द्वारा टोंक जिले के विद्यालय आवंटित किये जाने के फलस्वरूप, राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानों के तहत इन्हे राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के वेतन लेवल 05 में दो वर्ष के लिए प्राबेशन पर, प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर, देय नियत मानदेय 14600/- रूपये (मासिक) पर नियुक्ति प्रदान कर, इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में पदस्थापन किया जाता है । यह नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं / अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्ययाधीन रहेगी। एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464-1466 /2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैपटन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेंगे। ये नियुक्तियां पूर्णत अस्थाई आधार पर मानी जावेगी।

चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।

1. संबंधित अभ्यर्थी से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण प्रमाण पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें ।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 10/-रु के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे
3. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता संबंधी जाच विभाग स्तर पर करवाई जानी शैष है । अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की गई है । अतः संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/- के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें । यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो, उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेगें । मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणि सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेगें ।
5. अन्य पिछडावर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र, पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर किया हुआ होतो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर, प्रमाण पत्र जोकि विवाह के पश्चात का बना हआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होंगां । ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा दें ।
6. नियुक्त अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करवाने से पूर्व उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी दस्तावेजों की जाँच आवश्यक रूप से कर लें।

20

 - - - 2

(2)

7. अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कुटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
 8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक पं -7(3)/ कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
 9. विवाहित एवं अविवाहित अभ्यर्थियों से 10 रूपयें के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त किया जावें।
 10. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
 11. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा , सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
 12. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
 13. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनीज) की अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा।
 14. प्राबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी।
- इन अभ्यर्थियों को दिनांक 28 मार्च 2018 तक संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

नोट:- क्रम संख्या 3,4,5,8,9,10 व 11 पर अंकित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है। अतः उक्त कार्मिकों को इस कार्यालय से प्रमाण पत्रों की जाँच का प्रमाण पत्र जारी करने पर ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्य ग्रहण करवाया जावें।

संलग्न :- सूची क्र. स. 01 से 11 तक

(खुशीराम रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक टोंक

क्रमांक :- जिशिअ /मा/टोंक/संस्था-1/लिपिक ग्रेड द्वितीय/आरपीएससी 2013/

दिनांक 12.03.2018

प्रतिलिपि:-

2274-78

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मण्डल, अजमेर।
3. संबंधित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र यथा प्राप्त संलग्न कर प्रार्थी की व्यक्तिगत पंजिका हेतु।
(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
4. कोषाधिकारी टोंक/ उपकोषाधिकारी.....
5. संबंधित आशार्थी रजिस्टर्ड डाक द्वारा
6. कार्यालय प्रति।

(खुशीराम रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक टोंक

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक टोंक

क्रमांक :- जिशिल / मा / टोंक / संस्था-1 / लिपिक ग्रेड द्वितीय / आरपीएससी 2013 / सूची

2273-2278

दिनांक 12.03.2018

क. स.	मैरिट नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	आवंदित वर्ग	पदस्थापित विद्यालय राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि
1	299	DAMODAR PRASAD JANGIR	RAMAWATAR JANGIR	01-07-1992	ग्राम कास्या पोस्ट मेहदवास तहसील फागी जिला जयपुर	BC	GOVT. SR. SEC. SCH. NORANGPURA TONK
2	5783	RAJENDRA MEENA	RADHA KISHAN MEENA	15-06-1992	ग्राम पोस्ट डिडावता तहसील फागी जिला जयपुर	ST	GOVT. SR. SEC. SCH. BAGADAWA TONK
3	3154	REKHA SHARMA	SATYANARAYAN SHARMA	12-06-1980	84 / 247 प्रताप नगर, सागनेर जिला जयपुर	GE,WE	GOVT. SR. SEC. SCH. PACHALA UNIYARA
4	5238	SAROJ CHOUDARY	GOVERDHAN CHOUDHARY	06-11-1998	ग्राम कुम्हारिया पोस्ट नगर तह. मालपुरा जिला टोंक	BC,WE	GOVT. SR. SEC. SCH. CHANDWAR DEOLI
5	2859	GAJANAND DAHIYA	SHIVJIRAM JAT	05-04-1991	ग्राम श्री नगर पोस्ट धौली तहसील मालपुरा टोंक	BC	GOVT. SEC. SCH. KHWASPURA DEOLI
6	3166	NIKLESH SAIN	RAMESHWAR PRASAD SAIN	01-07-1991	नये मंदिर के पीछे खारी कुई के पास निवाई जिला टोंक	BC	GOVT. SR. SEC. SCH. NATHADI (TONK) TONK
7	3170	JAIRAM COUDHARY	SHIVJI LAL CHOUDARY	04-07-1992	199 मोहल्ला जैन साखना तह. व जिला टोंक	BC	GOVT. SR. SEC. SCH. KANWRRAWASTODARASINGH
8.	3778	KAMLESH CHOUDARY	RAMPAL CHOUDHARY	16-01-1980	ग्राम पोस्ट खरेडा बुजुर्ग तह. निवाई जिला टोंक	BC	GOVT. SEC. SCH. KANWARA DEOLI
9	4965	SUBHAB SUHAL	BRIJ MOHAN SAHUL	07-09-1995	वार्ड न. 5 कोलियान मोहल्ला उनियारा जिला टोंक	SC	GOVT. SEC. SCH. DHUWANKALAN DEOLI
10	5129	DOCTOR KUMAR MEENA	MAHAVEER MEENA	28-08-1993	ग्राम खेडली पोस्ट बोसरिया तह. उनियारा जिला टोंक	ST	GOVT. SEC. SCH. JIHIRANA TONK
11	5257	RAMLAXAMAN VERMA	RADHA KISHAN VERMA	21-10-1994	ग्राम पोस्ट दुनी तह. दुनी जिला टोंक	SC	GOVT. SEC. SCH. SANDERA TONK

नोट:- क्रम संख्या 3,4,5,8,9,10 व 11 पर अंकित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये है। अतः उक्त कार्मिकों को इस कार्यालय से प्रमाण पत्रों की जाँच का प्रमाण पत्र जारी प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।



(खुशीराम रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक टोंक

12-03-18